(Hindi)

स्वास्थ्य और सामाजिक देख-भाल करने वाले पेशेवरों का नियमन कौन करता है?

आप स्वास्थ्य या सामाजिक देख-भाल करने वाले पेशेवर से क्या अपेक्षा करते हैं?

आप अपेक्षा करते हैं कि आप का डाक्टर, नर्स, दांतों का डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य स्वास्थ्य या सामाजिक देख-भाल करने वाले पेशेवर:

- आप से आदर और सम्मान का बर्ताव करते हैं;
- के पास आप का उपचार करने या आप की देख-भाल करने का कौशल और ज्ञान है; और
- उच्च स्तर के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं।

आप यह भी अपेक्षा करते हैं कि यदि आप प्राप्त उपचार या देख-भाल के स्तर के बारे में चिंतित हैं तो कोई कार्यवाई करेगा।

कौन सुनिश्चित करता है कि मानकों का पालन होता है?

हम 13 संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य और सामाजिक देख-भाल की नियामक जानी जाती हैं। हम में से प्रत्येक सारे यूके में व्यक्तिगत पेशेवरों का नियमन करके एक या अधिक स्वास्थ्य और सामाजिक देख-भाल के व्यवसाय की निगरानी करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि इन मानकों का पालन होता है।

हमारी स्थापना जनता की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि आप यूके में (प्राइवेट या ऐनऐचऐस में) जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को देखते हैं जो स्वास्थ्य या सामाजिक देख-भाल प्रदान करता है, वह हमारे मानकों पर पूरा उतरता है। इस लीफ़लैट में बताया गया है कि हम क्या काम करते हैं और आप हम से कैसे सम्पर्क कर सकते हैं।

आप अपेक्षा करते हैं कि पेशेवर के पास आप को उच्च स्तर का उपचार या देख-भाल प्रदान करने के लिए कौशल और ज्ञान है

हमारी भूमिका का एक महत्वपूर्ण अंश यह सुनिश्चित करना है कि यूके में कार्यरत स्वास्थ्य और सामाजिक देख-भाल करने वाले पेशेवरों के पास अपने पेशे की आवश्यकता के अनुसार कौशल और ज्ञान है। हम उनके पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के लिए मानक तय करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप जिन से उपचार और देख-भाल प्राप्त करते हैं वे हमारे मानकों पर पूरे उतरते हैं, हम में से प्रत्येक एक रजिस्टर रखती हैं। क़ानून के अनुसार केवल उन्हीं को रजिस्टर में पंजीकृत किया जाता है जो यह दिखा सकते हैं कि वे हमारे मानकों पर पूरे उतरते हैं।

आप अपेक्षा करते हैं कि आपके पेशेवर उच्च स्तर के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं

नियामक व्यवहार के मानकों को भी तय करते हैं जिन के अनुसार ही प्रत्येक पेशे के सदस्यों को व्यवहार करना ज़रूरी है। स्वीकार्य व्यवहार क्या है, हम इस के लिए मार्ग-निर्देश देते हैं। हम इन मानकों पर पूरा न उतरने को बहुत गंभीरता से लेते हैं।

आप अपेक्षा करते हैं कि यदि आप प्राप्त उपचार या देख-भाल के स्तर के बारे में चिन्तित हैं तो कोई कार्यवाई करेगा

यदि आप उस व्यक्ति की योग्यता या व्यवहार के बारे चिन्तित हैं जिस ने आप की देख-भाल की थी, तो आप सीधे उसी व्यक्ति या उस के नियुक्तिकार के पास जा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी संस्था या सेवा जैसे कि सिटिज़न्ज़ ऐडवाइस ब्यूरो, इंडिपैन्डैंट कम्पलेंट्स ऐडवोकेसी सर्विस, कम्युनिटी हैल्थ काउंसिल या स्थानीय पेशैंट ऐंड लाइज़ान सर्विस से परामर्श प्राप्त कर सकें।

हम भी जनता की सुरक्षा के लिए कार्यवाई कर सकते हैं। हम पंजीकृत कार्यकर्ताओं के बारे की गई शिकायत की पड़ताल कर सकते हैं। यदि परिस्थिति गंभीर है तो हम उन के यूके की संबंधित काउंटी या प्रदेश में पेशा करने के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं।

किस का पंजीकरण होता है?

निम्नलिखित में से किसी भी पेशे का काम करने के लिए व्यक्ति को संबद्ध नियामक के पास पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि वे पंजीकृत नहीं हैं और फिर भी पेशा चला रहे हैं तो वे क़ानून तोड़ रहे हैं और उन पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है।

हमारे रजिस्टर जनता के लिए खुले हैं। इस लिए यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति पंजीकृत है या नहीं तो आप ऐसा हमें फ़ोन करके या हमारी वैबसाइट से कर सकते हैं।

यदि आप इस लीफ़लैट की अधिक प्रतियां प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया regulators@hpc-uk.org पर ई-मेल भेजें। यदि आप किसी अन्य भाषा में या मोटी छपाई में प्रतियां चाहते हैं तो कृपया हमारी वैबसाइट देखें।

हम से संपर्क करें:

स्वास्थ्य देख-भाल

जनरल काइरोप्रैक्टिक काउंसिल (General Chiropractic Council - GCC)
काइरोप्रैक्टिक पद्धिति के चिकित्सक
फ़ोन: 020 7713 5155 या www.gcc-uk.org

जनरल डैंटल काउंसिल (General Dental Council - GDC)
डैंटिस्ट, दंत चिकित्सक, दंत स्वास्थ्यविज्ञानवेत्ता
31 जुलाई 2006 से – दांतों की नर्स, दंत टैक्नीशियन, दंत-रोगविषयक टैक्नीशियन और दंत वैषम्यविज्ञानी
फ़ोन: 020 7887 3800 या www.gdc-uk.org

जनरल मैडिकल काउंसिल (General Medical Council - GMC)
डाक्टर
फ़ोन: 0845 357 8001 या www.gmc-uk.org

जनरल ऑप्टिकल काउंसिल (General Optical Council - GOC)
ऐनकसाज़
फ़ोन: 020 7580 3898 या www.optical.org

जनरल ऑस्टियोपैथिक काउंसिल (General Osteopathic Council - GosC)
हड्डी रोग चिकित्सक
फ़ोन: 020 7357 6655 या www.osteopathy.org.uk

हैल्थ प्रोफ़ैश्नल काउंसिल (Health Professions Council - HPC)
कला चिकित्सक, बायोमैडिकल विज्ञानी, हस्त-पद रोग चिकित्सक, पद रोग चिकित्सक, रोग-विषयक विज्ञानी, आहारविज्ञानी, व्यावसायिक चिकित्सक, शल्य-चिकित्सक, नेत्ररोग चिकित्सक, पराचिकित्साकर्मी, भौतिक चिकित्सक, कृत्रिमांग विज्ञानी, रेडियोग्राफ़र, वाक्-भाषा चिकित्सक
फ़ोन: 020 7582 0866 या www.hpc-uk.org

नर्सिंग ऐंड मिडवाइफ़्री काउंसिल (Nursing and Midwifery Council - NMC)
नर्स, दाई और विशेषज्ञ सामुदायिक जन-स्वास्थ्य नर्स
फ़ोन: 020 7333 6622 या www.nmc-uk.org

रायल फ़ार्मास्युटिकल सोसाइटी ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन (Royal Pharmaceutical Society of Great Britain - RPSGB)
फ़ार्मासिस्ट, फ़ार्मेसी टैक्नीशियन (स्वैच्छिक रजिस्टर में) और फ़ार्मेसी परिसर
फ़ोन: 020 7735 9141 या www.rpsgb.org

फ़ार्मास्युटिकल सोसाइटी ऑफ़ नारदर्न आयरलैंड (Pharmaceutical Society of Northern Ireland - PSNI)
उत्तरी आयरलैंड में फ़ार्मासिस्ट और फ़ार्मेसी परिसर
फ़ोन: 02890 326927 या www.psni.org.uk

काउंसिल फ़ार हैल्थकेयर रेगूलेटरी ऐक्सिलैंस (Council for Healthcare Regulatory Excellence - CHRE) का उद्देश्य जनता की सुरक्षा करना और उपरोक्त नौ स्वास्थ्य देख-भाल पेशेवरों के नियामकों में सर्वोत्तम आचरण व श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करना है
www.chre.org.uk

सामाजिक देख-भाल

समय के साथ काउंसिलें अतिरिक्त स्टाफ़ ग्रुपों का पंजीकरण करेंगी। आप प्रत्येक काउंसिल से ब्योरा प्राप्त कर सकते हैं।

केयर काउंसिल फ़ार वेल्ज़ (Care Council for Wales)
वेल्ज़ में सामाजिक देख-भाल कर्मी, प्रशिक्षित सामाजिक वर्कर, सोशल वर्क में मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स के विद्यार्थी
फ़ोन: 0845 0700 399 या www.ccwales.org.uk

जनरल सोशल केयर काउंसिल (General Social Care Council - GSCC)
इंग्लैंड में सामाजिक देख-भाल कर्मी, प्रशिक्षित सामाजिक वर्कर, मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स के सोशल वर्क के विद्यार्थी
फ़ोन: 020 7397 5100 या www.gscc.org.uk
मिनिकॉम: 020 7397 5103

नारदर्न आयरलैंड सोशल केयर काउंसिल (Northern Ireland Social Care Council - NISCC)
उत्तरी आयरलैंड में सामाजिक देख-भाल कर्मी, प्रशिक्षित सामाजिक वर्कर, सोशल वर्क में मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स के विद्यार्थी
फ़ोन: 02890 417600 या www.niscc.info
टैक्स्टफ़ोन: 02890 239340

स्कॉटिश सोशल सर्विसिज़ काउंसिल (Scottish Social Services Council - SSSC)
स्कॉटलैंड में सामाजिक देख-भाल कर्मी, प्रशिक्षित सामाजिक वर्कर, सोशल वर्क में मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स के विद्यार्थी
फ़ोन: 0845 6030 891 या www.sssc.uk.com

जुलाई 2006